

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याणार्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: अनु.जाति/जनजाति/प्रकोष्ठ/2014/ 489

दिनांक 30/5/14

प्रति,

विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक,
समस्त अध्ययनशालायें,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय - अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं से शुल्क जमा कराने वावत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालाओं में शैक्षणिक सत्र 2013-14 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं से उक्त सत्र की पूर्ण फीस जमा न कराते हुये उनके परीक्षा फॉर्मों को अग्रेषित कर, छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र.क. अनु.जाति./जनजाति प्रकोष्ठ/2014/ 475/ दिनांक 15/05/2014 के द्वारा सूचित किया गया था, उक्त परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त छात्रों के छात्रवृत्ति प्रस्ताव सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, शारदा विहार, ग्वालियर की ओर भेज दीये गये हैं ।

अतः अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं से अब शैक्षणिक सत्र 2013-14 के दोनों सेमेस्टर की पूर्ण शुल्क, शिक्षण शुल्क के साथ सभी अनिवार्य शुल्क सहित (कोशनमनी छोडकर) जमा कराकर ही परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करना सुनिश्चित करें।


यदि छात्रों के परीक्षा फॉर्म अग्रेषित हो चुके हैं तो उनसे फीस जमा कराने के उपरान्त ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाय। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा जमा कराई जाने वाली फीस का संबंधित विभागाध्यक्ष स्वयं अवलोकन करें। अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी छात्र की फीस विश्वविद्यालय में जमा न होने पर संबंधित विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।


कुलसचिव

प्रतिलिपि -

1. परीक्षा नियंत्रक/सहा./उप-कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय/जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर इस आशय के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की पूर्ण शुल्क जमा होने पर ही अंकसूची जारी करें ।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

(4) दि. वि. संवत् 57. 50/57.


उप कुलसचिव
अनु.जाति/जनजाति प्रकोष्ठ